

निदेशालय, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएँ, राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक :

दिनांक : ..... / 07 / 2017

—: आदेश :—

श्री संजय सिंह, खाद्य सुरक्षा अधिकारी जो निदेशालय में आदेशों की प्रतीक्षा में है, का पदस्थापन कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, कोटा का कार्यक्षेत्र तुरन्त प्रभाव से आवंटन किया जाता है।

श्री संजय सिंह, खाद्य सुरक्षा अधिकारी को आज दिनांक को मध्याह्न पश्चात् कार्यमुक्त किया जाता है।

आयुक्त (खाद्य सुरक्षा) एवं  
निदेशक (जन स्वास्थ्य)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,  
राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक : 3.20

दिनांक : 13 / 07 / 2017

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय स्वास्थ्य मंत्री महोदय, राजस्थान जयपुर।
2. निजि सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. उप शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2), विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन), मुख्यालय।
5. अतिरिक्त निदेशक (ग्रोस्वा0), मुख्यालय को निर्देश प्रदान किये जाते हैं कि उक्त खाद्य सुरक्षा अधिकारी की उपस्थिति उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें।
6. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन-संबंधित।
7. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी संबंधित।
8. संबंधित एफएसओ को पालनार्थ।
9. प्रभारी, कम्प्यूटर सर्वर रूम, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभाग की वेबसाइट/संबंधित की ई-मेल आई.डी. पर डलवाना सुनिश्चित करावें।
10. निजि/आदेश पत्रावली।

आयुक्त (खाद्य सुरक्षा) एवं  
निदेशक (जन स्वास्थ्य)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,  
राजस्थान, जयपुर।